संख्या-676/2025/1324/22-2-2024-17(83)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुलदीप उर्फ भोलू पुत्र श्री अमरजीत निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-25376/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.08.2024), दिनांक 16.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुलदीप उर्फ भोलू पुत्र अमरजीत, निवासी ग्राम- नया बांस, थाना-गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। सिद्धदोष बंदी कुलदीप उर्फ भोलू पुत्र अमरजीत द्वारा दिनांक 22.08.2003 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी की पत्नी और पुत्री को खेत में घसीटकर ले गये। कट्टा से लड़की का मुँह बंद कर सभी ने रेप करने के बाद चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-869,870/2003, भा0द0वि0 की धारा-376, (2), (जी),302/34 व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3 बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 14.09.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 02.08.2007 द्वारा निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा मे परिवर्तित किया गया एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-25.11.2019 द्वारा बंदी की अपील को निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी ने दिनाँक 07.08.2024 तक 20 वर्ष 11 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 10 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-28.09.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, बंदी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक-22.08.2003 को बंदी द्वारा अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर घास लेकर लौटते समय वादी की पुत्री के साथ बलात्कार किया तथा विरोध करने पर चाकू से वारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सिमति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कुलदीप उर्फ भोलू पुत्र अमरजीत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुलदीप उर्फ भोलू (बन्दी संख्या-11106) पुत्र श्री अमरजीत, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-676/2025/1324(1)/22-2-2024-17(83)/2024,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-676/2025/1324/22-2-2024-17(83)/2024

दिनांकः 27 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुलदीप उर्फ भोलू पुत्र अमरजीत, निवासी ग्राम- नया बांस, थाना-गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। सिद्धदोष बंदी कुलदीप उर्फ भोलू पुत्र अमरजीत द्वारा दिनांक 22.08.2003 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी की पत्नी और पुत्री को खेत में घसीटकर ले गये। कट्टा से लड़की का मुँह बंद कर सभी ने रेप करने के बाद चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-869,870/2003, भा0द0वि0 की धारा-376, (2), (जी),302/34 व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3 बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 14.09.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 02.08.2007 द्वारा निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा मे परिवर्तित किया गया एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-25.11.2019 द्वारा बंदी की अपील को निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी ने दिनाँक 07.08.2024 तक 20 वर्ष 11 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 10 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-28.09.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, बंदी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक-22.08.2003 को बंदी द्वारा अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर घास लेकर लौटते समय वादी की पुत्री के साथ बलात्कार किया तथा विरोध करने पर चाकू से वारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सिमति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कुलदीप उर्फ भोलू पुत्र अमरजीत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in